

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/पेन-51/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार के अवकाश अवधि दिनांक-08.04.2003 से 25.05.2003 तक एवं दिनांक-05.12.2021 से 10.01.2022 तक को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1754(25), दिनांक-04.10.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में अवकाश को निम्नवत रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-08.04.2003 से 25.05.2003 तक	-	कुल 48 (अडतालीस) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-05.12.2021 से 10.01.2022 तक	-	कुल 37 (सैतीस) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार णठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-51/2024-

9.30(2)

पटना, दिनांक 5/5/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार/डा० शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार का पत्राचार पता-मोहल्ला-बिनोदपुर राजहाता, पो०+थाना+जिला-कटिहार, पिनकोड-854105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wamuk 30/4/26  
सरकार के उप सचिव।